

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 जनवरी 2021 — माघ 3, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 जनवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-4/2020/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. शीर्षक “सात-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग” के अंतर्गत,-

(क) भाग (अ) के सरल क्रमांक 49 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“50. पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परीक्षण (मानीटरिंग) को सम्मिलित करते हुए छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) का क्रियान्वयन.”

(ख) भाग (आ) के सरल क्रमांक 20 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“21. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984).”

2. शीर्षक “अठारह-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग” के अंतर्गत,-

(क) भाग (अ) के सरल क्रमांक 1 का लोप किया जाये; और

(क) भाग (आ) के सरल क्रमांक 8 का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 23 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 1-4/2020/एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4/2020/एक (1), दिनांक 23-01-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 23rd January 2021

NOTIFICATION

No. F 1-4/2020/One (1). — In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. Under the heading “Seven-Revenue and Disaster Management Department”,-

(a) after serial number 49 of Part (A), the following shall be added, namely :-

“50. Implementation of the Chhattisgarh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhinyam, 1984 (No. 15 of 1984), including monitoring the progress of distribution of lease documents.”

(b) after serial number 20 of Part (B), the following shall be added, namely :-

“21. Chhattisgarh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhinyam, 1984 (No. 15 of 1984).”

2. Under the heading “Eighteen-Urban Administration and Development Department”,-

(a) the serial number 1 of Part (A) shall be omitted; and

(b) the serial number 8 of Part (B) shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Secretary.